the word "Deputation/Re-employment" may be added below the heading "For Armed Forces Personnel" and the word 'Commissioner' appearing in the first line below the heading "For Armed Forces Personnel" may be read as 'Commissioned'.

[F. No. 12018/2/2002-Ad.V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2006

सा. का. नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) के अधीन केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान बंगलौर, में सहायक इंजीनियर (सिविल) (समूह 'ख') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही
1	2	3	4	5	6
सहायक इंजीनियर (सिविल)	02*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	6500-200-105000 रू.	चयन	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर/मुख्य नक्क्षानवीस जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा रखते हुए केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान में, 5500—9000 रू. के वेतनमान में, उसी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों। **टिप्पण 1**—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपने पद/श्रेणी पर विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश में तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिकसे या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या जिन्होने मुल काडर या विभाग में 5500—9000/-रू. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है ; या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ; (ii) तटीय इंजीनियरी/अन्वेषणों और तटवर्ती संरचना/परियोजनाओं की रूपरेखा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव **वांछनीय :** जलीय संवर्ध परियोजनाओं/सर्वेक्षण, योजना और रूपांकन में अनुभव। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य

	12
	काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—		किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर	— अध्यक्ष	
2. उपसचिव (मत्स्य उद्योग प्रशासन)/अवर सचिव (मत्स्य उद्योग प्रशासन)	— सदस्य	
3. सह आयुक्त (मत्स्य बंदरगाह)	—सदस्य	
4. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी)	—सदस्य	

[फा. सं. 4-14/99-एफवाई (प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 27th March, 2006

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Assistant Engineer (Civil) (Group 'B') in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery Assistant Engineer (Civil). Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman, other backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Engineer (Civil)	02* (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 6500-200-10500/-	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation	**Promotion** Junior Engineer/Chief Draughtsman in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery possessing diploma in Civil Engineering from recognized University/Institute or equivalent. **Note : 1**—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective post/grade. **Note : 2**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less. and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central/State Governments/Union Territories. (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or with 3 years' service in the grade rendered after appointment hereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience : (i) Degree in Civil Engineering of a recognized university/institute or equivalent (ii) Two years' experience in the fields of coastal engineering/investigations and design of maritime structure/projects.

12
Desirable : Experience in aquaculture projects-survey, planning and designing. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.)

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group B Departmental Promotion Committee **(For considering promotion) consisting of :—** 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Secretary (Fishery Admn)/ Under Secretary (Fishery Admn.) —Member 3. Assistant Commissioner (Fishing Harbour) —Member 4. Deputy Director (Civil Engineering) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation.

[F. No. 4-14/99-Fy. (Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2006

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग, नक्शानवीस समूह 1 (अननुसचिवीय, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, नक्शानवीस समूह 1 (अननुसचिवीय, समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल आयोग, नक्शानवीस समूह 1 (अननुसचिवीय, 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में,—

(क) स्तंभ 5 के शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"चयन अथवा अचयन पद।";

(ख) स्तंभ 5 के शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन"।

[फा. सं. 35/2/2005-स्था. एक]

हरप्रताप सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 135, तारीख 3 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 20th March, 2006

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Water Commission Draftsman Grade I (Non-Ministerial Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water Commission Draftsman Grade I (Non -Ministerial Group 'B' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 2007

सा.का.नि. 121.—कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 मई, 2007 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 26 मई, 2007 के संख्या सा.का.नि. 88 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (समूह 'ग') भर्ती नियम 2007 की अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर वर्णित प्रयोगशाला परिचर के पद के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि "1एक*(2007)" को "2 दो*(2007)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

[फा. सं. 20011/2/2006-बीज-II]

लीला चन्द्रन, अवर सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th June, 2007

G.S.R. 121.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number G.S.R. 88 dated the 16th May, 2007, published in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of Gazette of India dated, 26th May, 2007 regarding the National Seed Research and Training Centre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2007, in the Schedule, against serial number 5, relating to the post of Laboratory Attendant, in Column 2, for the entry "1* (One)", the entry "2*(Two)" shall be substituted.

[F.No. 20011/2/2006-Seed-II]

LILA CHANDRAN, Under Secy.

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 2007

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान [सहायक इंजीनियर (सिविल) (समूह "ख")] भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान [सहायक इंजीनियर (सिविल) (समूह "ख")] भर्ती संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान [सहायक इंजीनियर (सिविल) (समूह "ख")] भर्ती संशोधन नियम, 2006 की अनुसूची के स्तंभ 12 में,—

(i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन आने वाले "मुख्य नक्शानवीस" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) टिप्पण 1 और टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

[फा. सं. 4-14/99(एफवाई. प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

पाद टिपण : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 71, तारीख 1 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 11th June, 2007

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery [Assistant Engineer (Civil) (Group 'B')], Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery [Assistant Engineer (Civil) (Group 'B')], Recruitment Amendment Rules, 2007.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery [Assistant Engineer (Civil) (Group 'B')], Recruitment Rules, 2006, in column 12,—

   (i) The words, "chief draughtsman" appearing under the heading 'Promotion' shall be omitted.

   (ii) For Note 1 and Note 2, the following shall be substituted, namely :—

   "**Note**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service."

[F. No. 4-14/99 (Fy. Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Foot Note : The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 71 dated 1st April, 2006

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th June, 2007

G.S.R. 123.—In the Notification published in the Gazette of India Part-II, Section 3(i) *vide* GSR 82 dated 19th May, 2007 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Chairman, Central Ground Water Board, a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following corrections may be made :

I. Col. 12 : The field of selection for promotion in the Note Below :

The word 'or' figuring betwen qualifying eligibility may be replaced by the symbol '/' (slash).

II. (i) Col. 12 : The field of selection for deputation (including short term contract) :

The word 'or' figuring between Central State Govt. UTs Autonomous Organisations Semi Govt. Organisation and Public Sector Undertaking may be replaced by the symobl '/' (slash).

(ii) Item (a)(i) and (ii) : The word 'or' figuring between parent cadre department may be replaced by the symbol '/' (slash).

(iii) Item (b) may be read as possessing the following educational qualifications and experience instead of educational qualifications or experience.

[F. No. 2 1/2/99-GW-I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India *vide* GSR 397 dated 21-9-1996 and subsequently amended *vide* number GSR 191 dated 31-3-2001, GSR 452 daetd 18-8-2001, GSR 350 dated 4-10-2003, GSR 26 dated 24-01-2004 and GSR 82 dated 19-05-2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.